(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 20/2019 - केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 23 अप्रैल, 2019

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2019 है ।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 23 के उपनियम (1) के पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण की तारीख तक की अवधि के लिए बकाया सभी विवरणियां उक्त व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी:
परंतु यह भी कि जहां रजिस्ट्रीकरण भूतलक्षी प्रभाव से रद्द किया गया है वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण की तारीख तक की अवधि से संबंधित सभी विवरणियां रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।”।

3. उक्त नियमों के नियम 62 में, --

   (क) पार्श्वशीर्ष में शब्दों “समिश्र प्रदायकर्ता द्वारा त्रैमासिक विवरणियों को प्रस्तुत करने का प्ररुप और रीति” के स्थान पर “विवरण और विवरणी को प्रस्तुत करने का प्ररुप और रीति” शब्द रखे जाएंगे;

   (ख) उप नियम (1), --

(i) "धारा 10 के अधीन कर का संदाय" शब्दों और अंकों से आरंभ होने वाले तथा "**प्ररुप जीएसटीआर-4**" अक्षरों और अंकों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाला या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 189 (अ), तारीख 7 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 02/2019-केंद्रीय कर(दर), तारीख 7 मार्च, 2019 का लाभ प्राप्त करते हुए कर का संदाय करने वाला-

(i) किसी तिमाही या यथास्थिति उसके भाग के लिए, ऐसी तिमाही के उत्तरवर्ती मास के 18वें दिन तक **प्ररुप जीएसटी सीएमटी-08** में स्व-निर्धारित कर के संदाय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए विवरण इलैक्ट्रोनिकी रुप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।

(ii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष या यथास्थिति उसके भाग के लिए, ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के आगामी अप्रैल माह के तीसवें दिन तक **प्ररुप जीएसटीआर-4** में विवरणी इलैक्ट्रानिकी रुप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा";

(ii) परंतुक का लोप किया जाएगा ।

(ग) उपनियम (2) में "विवरणी प्रस्तुत" से शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "अन्य रकम", शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"विवरण प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम या इस अध्याय के नियमों के अधीन संदेय कर या ब्याज"

(घ) उपनियम (4) में, --

(i) शब्दों और अंकों "धारा 10 के अधीन संदाय करने का विकल्प लिया है" के पश्चात् "या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 189 (अ), तारीख 7 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 02/2019-केंद्रीय कर(दर), तारीख 7 मार्च, 2019 का लाभ प्राप्त किया है" शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण में, -

(अ) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं;

(आ) शब्दों "समिश्र स्कीम का विकल्प लेने" के पश्चात् "या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 189 (अ), तारीख 7 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 02/2019-केंद्रीय कर(दर), तारीख 7 मार्च,

2019 का लाभ प्राप्त करते हुए कर के संदाय का विकल्प लेने" शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ड.) उपनियम (5) में, शब्दों, अंकों और अक्षरों "धारा 9 के अधीन कर के संदाय के लिए **प्ररुप जीएसटीआर-4** में विकल्प लेने से पूर्व अवधि से उत्तरवर्ती वित्त वर्ष के सितंबर मास को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए विवरण प्रस्तुत करने की सम्यक तारीख या पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक तारीख, जो भी पूर्वतर हो" के स्थान पर "ऐसी अवधि जिसके लिए, तिमाही जिसमें प्रत्याहरण की तारीख आती है, के उत्तरवर्ती मास के 18वें दिन तक समिश्र स्कीम के अधीन कर का संदाय किया है, के लिए **प्ररुप जीएसटी सीएमपी-08** में विवरण प्रस्तुत करेगा और वित्तीय वर्ष जिसके दौरान ऐसा प्रत्याहरण आता है की समाप्ति के उत्तरवर्ती अप्रैल मास के 30वें दिन तक उक्त अवधि के लिए **प्ररुप जीएसटीआर-4** में विवरणी प्रस्तुत करेगा" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(च) उपनियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"6. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 189(अ), तारीख 7 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 02/2019-कैंद्रीय कर(दर), तारीख 7 मार्च, 2019 का लाभ प्राप्त करना बंद कर दिया है जहां अपेक्षित हो, ऐसी अवधि के लिए तिमाही जिसमें परिवरति तारीख आती है से उत्तरवर्ती मास के 18वें दिन तक उक्त अधिसूचना के अधीन लाभ प्राप्त करते हुए कर का संदाय किया है **प्ररुप जीएसटी सीएमपी-08** में विवरण प्रस्तुत करेगा और वित्तीय वर्ष जिसके दौरान ऐसी परिवरति होती है कि समाप्ति के उत्तरवर्ती अप्रैल मास के 30वें दिन तक उक्त अवधि के लिए प्ररुप जीएसटीआर-4 में विवरणी प्रस्तुत करेगा" ।

4. उक्त नियमों में प्ररुप जीएसटी सीएमपी-07 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररुप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररुप जीएसटी सीएमपी-08

(नियम 62 देखें)

स्व:निर्धारित कर के संदाय के लिए विवरण

वित्तीय वर्ष				

तिमाही	

1.	जीएसटीआईएन															
2.	(क)	विधिक नाम	<स्वत:>													
	(ख)	व्यापार नाम	<स्वत:>													
	(ग)	एआरएन	< स्वत:> (फाइल करने के पश्चात्)													
	(घ)	फाइल करने की तारीख	< स्वत:> (फाइल करने के पश्चात्)													

3. स्व:निर्धारित दायित्व का सारांश

(कुल अग्रिम, जमा और विकलन टिप्पण और संशोधन आदि के कारण कोई अन्य समायोजन)

(सभी सारणियों में रुपयों में रकम)

क्र. सं.	विवरण	मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	सेस
1	2	3	4	5	6	7
1.	जावक पूर्ति (छूट प्राप्त पूर्ति को सम्मिलित करते हुए)					
2.	आवक पूर्ति सेवाओं के आयात को सम्मिलित करते हुए आरक्षित भार को आकर्षित करते हुए आवक पूर्ति					
3.	संदेय कर (1+2)					
4.	संदेय ब्याज, यदि कोई हो					
5.	संदेय कर और ब्याज					

4. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है ।

हस्ताक्षर

स्थान : **प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम**

तारीख: पदनाम/प्रास्थिति

अनुदेश :

1. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 के उपबंधों के अधीन या अधिसूचना संख्या 02/2019–केंद्रीय कर (दर), तारीख 7 मार्च, 2019 (सा.का.नि. 189(अ), तारीख 7 मार्च, 2019) का लाभ प्राप्त करते हुए कर का संदाय करने वाला करदाता, सम्यक तारीख तक तिमाही आधार पर कर का संदाय करेगा ।
2. अग्रिम, जमा/विकलन टिप्पण या सुधार के लेखें समायोजन दायित्व के विरुद्ध रिपोर्ट की जाएगी ।
3. नकारात्मक मूल्य की ऐसे रिपोर्ट की जाएगी कि ऐसा मूल्य समायोजन के पश्चात् आया है ।
4. यदि कुल संदेय कर नकारात्मक हो गया है, तब उसे अगली कर अवधि के लिए, उस अवधि में उसका उपयोग करने के लिए अग्रेषित किया जाएगा ।
5. यदि संदाय सम्यक तारीख के पश्चात् किया जाता है तो ब्याज उद्ग्रहणीय होगा ।
6. 'शून्य' वरण दाखिल किया जाएगा यदि तिमाही के दौरान कोई कर देयता बकाया नहीं है

5. उक्त नियमों के **प्ररुप जीएसटी आरईजी-01** के अनुदेश सं. 16 के पश्चात् निम्नलिखित अनुदेश अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"17. करदाता जो यथासंशोधित अधिसूचना सं. 2/2019-केंद्रीय कर (दर), तारीख 7 मार्च, 2019 का लाभ प्राप्त करते हुए कर का संदाय करना चाहते हैं वे इस प्ररुप के क्रम सं. 5 और 6.1 (iii) पर ऐसा विकल्प उपदर्शित करेंगे ।"

(फा. सं. 20/06/16/2018-जीएसटी)

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 3/2017-केंद्रीय कर तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि.संख्यांक

249(अ), तारीख 29 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 16/2019-केंद्रीय कर, तारीख 29 मार्च, 2019 द्वारा किया गया ।